दौलत राम बनाम सरपंच गुलपा(ड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2/11)
14.3.14	पीठासीन अधिकारी महोदय अमण/~~अवकाश~~ पर हैं, पत्रावली पूर्वानुसार दि0 9.4.14 को पेश हो।
9.4.14	वकील अपीलार्थ उप0, रेस्पो. नं. 4 के लखन चन्द वकील प्राप्त होकर पत्रावली मे शामिल है लेकिन रेस्पोन्डेंट अनुपस्थित है। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि0 10.4.14 को पेश हो। [illegible]
10.4.14	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। वकील अपीलार्थ उपस्थित। अपीलार्थ ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act मय धारा 5 म्याद अधि0 नामा. सं0 315 वाले ग्राम पुनाय निर्णय दि0 14-11-96 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गुलपाड़ा से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है। कि ख.नं. 289/1.12 वाले ग्राम पुनाय का 1/2 भाग अपीलार्थ ने दिनांक 7.8.95 को सरजीत सिंह से जरिये बयनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया, तथा शेष 1/2 हिस्सा को रेस्पो. नं. 2 लगा. 4 ने दि0 3.7.95 को जरिये रजि0 बयनामा सरजीत सिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। सरपंच ग्राम पंचायत गुलपाड़ा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दि0 14-11-96 को ख.नं. 289/1.12 सम्पूर्ण [illegible] पर रेस्पो0 2 लगा. 4 का नाम [illegible] 7.8.95 से अपीलार्थ [illegible] 1/2 हिस्से पर दिनांक [illegible] सरपंच [illegible] पर रेस्पो 2 [illegible] दि0 14.11 को [illegible] दाखिल [illegible] की नकल लेने पर [illegible] इन्द्राज की जानकारी हुई, तथा बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है तथा म्याद अधि0 की धारा 5 का प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को अनाधि कण्डोन करते हुए अपील-
	— [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

[illegible]
[illegible]

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गुलरबाड़ी के फैसला दिनांक 14.11.96 दा.खा. सं 315 निरस्त किया जाकर खा.नं. 289/1.12 वाले कुआँ के 1/2 हिस्सा पर [illegible] अपील 1/2 हिस्सा पर रेस्पो० क्र 2 से 4 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश करवाया जाकर चाहा/ अपील दर्ज की जाकर रेस्पो० एवं पूर्व नामा० तलब किया गया/ रेस्पो० नामजद इत्तला उप० नहीं होने उनकी अनुपस्थिति एक० की गई/ तहसीलदार गया से अपने पत्रांक (1/12) पत्र 14/764 दि० 14.3.14 से नामा० सं 315 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। हमने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी, तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नामा. सं 315 वाले ग्राम गुलरबाड़ा के अवलोकन से साबित होता है कि यह नामान्तरकरण दिनांक 15.10.1996 को बयनामा दि० 31.7.95 के आधार पर रेस्पो० क्र 2 से 4 के नाम दर्ज किया गया है। नकल बयनामा दि० 31.7.95 के अवलोकन से पाया जाता है कि विक्रेता सत्तीन सिंह पुत्र मंगल सिंह ने रेस्पोंडेन्ट शमशेर सिंह वल्द ओंकार सिंह, द्वारा [illegible] व सुलतान सिंह शमशेर सिंह वल्द [illegible] को ख.नं. 289/1.12 वाले ग्राम [illegible] का 1/2 हिस्सा विक्रय किया है, जबकि कुआ का 1/2 हिस्सा [illegible] पटवारी हल्का द्वारा [illegible] के पक्ष सम्पूर्ण रकबे पर [illegible] किया जो ग्राम पंचायत [illegible] जाना कैसे भी प्रमाणित नहीं है और गैर कानूनी है/ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल बयनामा दि० 7.8.95 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख.नं. 289/1.12 वाले कुआ के 1/2 हिस्से का बयनामा सतवीर सिंह द्वारा अपीलार्थी दौलत सिंह के पक्ष में किया जाकर मौके पर कब्जा है —	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दाखिल खारिज / संरचय गुलपशा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	दिया गया है जिसका विवादित नामान्तरण में कोई जिक्र नहीं है इस प्रकार उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि कि० आ० खे० नं० 289/1.12 वाले ग्राम जुनाय के 1/2 हिस्से पर अपीलार्थ का तथा 1/2 हिस्से पर रेस्पां० नं० 2 लगा० 4 का कब्जा दर्ज है तथा ग्राम पंचायत ने नामा० कब्जे की जांच किये बिना गलत रूप से निर्णित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है अतः आदेश है कि - अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाती है तथा नामा० कं० 315 वाले ग्राम जुनाय निर्णय दि० 15.11.96 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार सीकरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर बाद जांच पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति नाय० तहसीलदार सीकरी को भेजी जावे।	
	(हरिराम आदिल)	
	आदेश आज दिनांक 10.4.14 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	10/4/14	
	(हरिराम आदिल)	
	उपर... अधिकारी नगर ...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner